

तारीख हुक्म

23-4-18

हुक्म
दिनांक 26-6-18
की पालना के लिये जारी है

[Signature]
जज (अल्प)

26-6-18

पत्रिका के अंतर्गत में प्रेश हुई
व कुलाम उभराना के एम व कुलाम
सुनी गार्ड। जमावती का उभराना
जिस गार्ड के एम व कुलाम का
कोर केम गार्ड केम वादी प्रेश
कर ले रीकी जिस वाता है।
जिस प्रेश के लिखा जा रहा
केम के उभराना नए के उभराना
गार्ड नए के उभराना जमावती प्रेश
30/6/18 को प्रेश की *[Signature]*

30/6/18

जमावती के अंतर्गत में प्रेश हुई
व कुलाम उभराना। उभराना प्रेश
गार्ड प्रेश। के एम उभराना प्रेश
सुनी गार्ड। मुलादिक-उभराना प्रेश
केम वादी रीकी जमावती है
जिसके निराल प्रेश के लिखा
जा रहा केम प्रेश गार्ड जमावती
केम प्रेश केम प्रेश प्रेश
केम प्रेश प्रेश *[Signature]*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/634/15

बउनवान

1. दाताराम पुत्र श्री बौलाराम जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर

--- वादी

बनाम

1. कमल पुत्र उदा जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
2. रघुवीर पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
3. समयसिंह पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
4. महावीर पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
5. नहनी बेवा दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
6. प्रकाश पुत्र ख्याली जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
7. रामनिवास पुत्र ख्याली जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
8. बाबूलाल पुत्र छुटटन जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
9. महेन्द्र पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
10. विशम्भर पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
11. सुमेर पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
12. हुकम पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
13. राजाराम पुत्र जगनी जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
14. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुकमइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री भवानी सिंह चौहान :- अधिवक्ता वादी

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा :- अधिवक्ता प्रतिवादी

श्री राजेश कुमार अवरथी :- अधिवक्ता प्रतिवादी

epd
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1795 रकबा 0.29 हे०, 1796 रकबा 0.29 हे०, 1819 रकबा 0.76 हे०, 1820 रकबा 0.52 हे०, 1810 रकबा 0.94 हे० 1817 रकबा 1.04 हे० वाके ग्राम समूची तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी खसरा नम्बर 1795,1796 कुल किता 2 रकबा 0.38 हे० का 3/8 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 1819,1820,1810,1817 कुल किता 4 रकबा 3.26 हे० में वादी का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 3,6 लगा 9, 13,17 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 वाके ग्राम समूची की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वकूलान उपस्थित हुये। जवाब पेश नहीं करना चाहते। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

वहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन कर व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादी दिनांक 26.06.2018 को

अर्चु

उपसंग्रह अधिकारी
कठूमर (अलवर)


प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने दिनांक 30.06.2018 को अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु अधिवक्ता उभय पक्ष ने कुरेजात रिपोर्ट में आपसी सहमति से वादी दाताराम को खसरा नम्बर 1817 में से रास्ते सहित रकबा 0.30 हे० एवं प्रतिवादी कमल को खसरा नम्बर 1817 में से 0.20 हे० तकसीम में दिया जाना स्वीकार किया। तथा खसरा नम्बर 1795 में से 0.01 हे० व खसरा नम्बर 1796 में से 0.02 हे० पूर्वी तर्फ में रास्ते के लिये शामिल रकबा रखे जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1820 रकबा 0.32 हे०, खसरा नम्बर 1817 मिन तर्फ दक्षिण-पश्चिम रकबा 0.30 हे० कुल किता 2 रकबा 0.62 हे० दाताराम पुत्र बोलाराम कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1820 तर्फ पश्चिम 0.20 हे० , 1819 तर्फ पूर्व रकबा 0.12 हे० कुल किता 2 रकबा 0.32 हे० प्रकाश चन्द ,रामनिवास पिता ख्याली कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1819 तर्फ पश्चिम 0.64 हे० बाबूलाल पुत्र छुट्टन कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1817 मिन तर्फ उत्तर-पश्चिम रकबा 0.20 हे०, खसरा नम्बर 1795 रकबा 0.28 हे० , खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.15 हे० कुल किता 3 रकबा 0.63 हे० कमल पुत्र उदा को , खसरा नम्बर 1817 तर्फ पूर्व रकबा 0.49 हे० राजाराम पुत्र जगनी कौम जाटव, खसरा नम्बर 1817 तर्फ पश्चिम रकबा 0.05 हे०, खसरा नम्बर 1810 रकबा 0.94 हे० कुल किता 2 रकबा 0.99 हे० महेन्द्र, विशम्भर, सुमेर, हुकमसिंह पिता खेमचन्द कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.12 हे० रघुवीर ,समयसिंह, महावीर पिता दोला, नहनी पत्नी दोला कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1795 तर्फ पूर्व रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर 1796 तर्फ पूर्व रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.03 हे०


amr
उपस्थित अधिकारी
कठूमर (अलगवर)

कमल पुत्र उदा, रघुवीर, समयसिंह, महावीर सिंह पिता दोला, नहनी पत्नी दोला जाति जाटव को रास्ते हेतु तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 30.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कनिष्क सैनी)
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पच्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/634/15

बउनवान

1. दाताराम पुत्र श्री बौलाराम जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर

--- वादी

बनाम

1. कमल पुत्र उदा जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
2. रघुवीर पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
3. समयसिंह पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
4. महावीर पुत्र दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
5. नहनी बेवा दौला जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
6. प्रकाश पुत्र ख्याली जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
7. रामनिवास पुत्र ख्याली जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
8. बाबूलाल पुत्र छुट्टन जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
9. महेन्द्र पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
10. विशम्भर पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
11. सुमेर पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
12. हुकम पुत्र खेमचन्द जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
13. राजाराम पुत्र जगनी जाति जाटव निवासी सौंखर तहसील कठूमर
14. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुकमइन्तनाई दवामी व मशवरे

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1820 रकवा 0.32 हे0, खसरा नम्बर


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1817 मिन तर्फ दक्षिण-पश्चिम रकबा 0.30 हे० कुल किता 2 रकबा 0.62 हे० दाताराम पुत्र बोलाराम कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1820 तर्फ पश्चिम 0.20 हे० , 1819 तर्फ पूर्व रकबा 0.12 हे० कुल किता 2 रकबा 0.32 हे० प्रकाश चन्द ,रामनिवास पिता ख्याली कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1819 तर्फ पश्चिम 0.64 हे० बाबूलाल पुत्र छुट्टन कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1817 मिन तर्फ उत्तर-पश्चिम रकबा 0.20 हे०, खसरा नम्बर 1795 रकबा 0.28 हे० , खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.15 हे० कुल किता 3 रकबा 0.63 हे० कमल पुत्र उदा को , खसरा नम्बर 1817 तर्फ पूर्व रकबा 0.49 हे० राजाराम पुत्र जगनी कौम जाटव, खसरा नम्बर 1817 तर्फ पश्चिम रकबा 0.05 हे०, खसरा नम्बर 1810 रकबा 0.94 हे० कुल किता 2 रकबा 0.99 हे० महेन्द्र, विशम्भर, सुमेर, हुकमसिंह पिता खेमचन्द कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.12 हे० रघुवीर ,समयसिंह, महावीर पिता दोला, नहनी पत्नी दोला कौम जाटव को, खसरा नम्बर 1795 रकबा 0.01 हे०, खसरा नम्बर 1796 रकबा 0.02 कुल किता 2 रकबा 0.03 हे० कमल पुत्र उदा, रघुवीर, समयसिंह,महावीर सिंह पिता दोला , नहनी पत्नी दोला जाति जाटव को तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।



(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)